



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट- सी संख्या - 3118 वर्ष 2026

शंभूनाथ

याचिकाकर्ता(ओं)
बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 14 अन्य

.....उत्तरदाता(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	:	जोशेका मुखर्जी, संजय कुमार मिश्रा, शालिनी मिश्रा
प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता	:	सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी और अभिलेख का अध्ययन किया।
2. प्रस्तावित आदेश को देखते हुए प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है। यदि प्रतिवादी इस आदेश से असंतुष्ट हैं, तो वे पुनर्विचार याचिका दायर करने के लिए स्वतंत्र हैं।
3. याचिकाकर्ता ने यह याचिका इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की है कि प्रतिवादी संख्या 2/उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, तहसील सदर, जिला देवरिया को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश IX नियम 13 के तहत दिनांक 30.06.2003 के आवेदन के संख्या 350/150/91 पर निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए।
4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि काफी समय बीत चुका है लेकिन आज तक इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी और अभिलेख का अध्ययन किया।
6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और मामले की गुण-दोष में जाए बिना, इस याचिका का निपटारा करते हुए प्रतिवादी संख्या 2/उप मंडल मजिस्ट्रेट, तहसील सदर, जिला देवरिया को निर्देश दिया जाता है कि वे उपरोक्त आवेदन/मामले का निर्णय कानून के अनुसार, शीघ्रता से और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत होने की तिथि से चार महीने की अवधि के भीतर करें, लेकिन सभी संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

19 फरवरी, 2026

सकलैन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"